मेरठ विकास प्राधिकरण

की

89वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 17–11–2009

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 89वीं बैठक दिनांक 17–11–2009 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 89वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 17–11–2009 को सांय 6.00 बजें से प्रारम्भ होकर 8.30 बजें तक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री राम नवल सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री भुवनेश कुमार	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री आर0सी0श्रीवास्तव	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
4.	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री एन0के0 जैटरी	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
6.	श्री एच0एन0 शुक्ला	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव वित्त।	सदस्य
7.	श्री रवि रस्तौगी	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
8.	श्री अरूण कुमार वार्ष्णेय,	प्रतिनिधि, उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री राजीव कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि–अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य

10. श्री अनुराग पटेल — सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। — संयोजक

प्राधिकरण की 88वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-9-2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

प्राधिकरण की 88वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14-9-2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव, 76वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या– 3

विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, मेरठ के मुख्य अभियन्ताओं द्वारा माननीय बोर्ड के निर्देशानुसार डिफेंस एन्कलेव एवं श्रद्धापुरी योजनाओं का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत न करने के कारण माननीय बोर्ड द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिया गया कि विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, मेरठ के दोंनो मुख्य अभियन्ता अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –2

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा समस्त सम्बन्धित बारातघरों की दिनांक 31-12-2009 तक सुनवाई पूरी करके वस्तुस्थिति से आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाय।

प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –8

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित नोडल अधिकारी एक कार्यक्रम बनाकर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट से सम्पर्क/समन्वय स्थापित कर पुलिस बल लेकर अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायें।

प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 2

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मेरठ संयुक्त रूप से प्रतिकर भुगतान आदि से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों के मिलान की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर पूरा करेंगे।

माननीय बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर, वेद व्यासपुरी व लोहियानगर आवासीय योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छूटे नम्बरान् के समायोजन हेतु नीतिगत प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –1

माननीय बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –4

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण की योजनावार धारा 28ए भूमि अध्याप्ति अधिनियम के समस्त वादों का निस्तारण अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, मेरठ एक माह के अन्दर करेंगे।

प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–11

गत बोर्ड बैठक के निर्देशानुसार समिति की आख्या के साथ पत्रावली आयुक्त महोदय को प्रस्तुत हो चुकी हैं। उक्त प्रकरण में बोर्ड द्वारा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण बोर्ड, मेरठ को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

मद सं0–14

माननीय बोर्ड का स्पष्ट अभिमत यह है कि प्राधिकरण में कार्यरत वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को भवन किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता

लखनऊ एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भांति देने हेतु शासन की अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये।

मद सं0–20

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रशासकीय विभाग (प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ) को सन्दर्भित कर दिया जाये।

प्राधिकरण की 88वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या– 5

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या – 8

गत बोर्ड बैठक के निर्देशानुसार समिति की आख्या के साथ पत्रावली आयुक्त महोदय को प्रस्तुत हो चुकी हैं। उक्त प्रकरण में बोर्ड द्वारा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण बोर्ड, मेरठ को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

मद संख्या– 11

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या– 2

गत बोर्ड बैठक के निर्देशानुसार समिति की आख्या के साथ पत्रावली आयुक्त महोदय को प्रस्तुत हो चुकी हैं। उक्त प्रकरण में बोर्ड द्वारा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण बोर्ड, मेरठ को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद संख्या– 1

वित्तीय वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव

माननीय बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या– 2

जोन–एच के अन्तर्गत 24 मी0 चौडी महायोजना मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या– 3

इन्टीग्रेटिड हाउसिंग स्कीम के अर्न्तगत मैसर्स सुपरटैक लि0 को ग्राम– दुल्हैड़ा चौहान एवॅ सिवायाजमाउल्लापुर में 51.0 एकड़ पर डी0पी0आर0 की स्वीकृति के संबंध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या– 4

प्रारूप मेरठ विस्तारित क्षेत्र महायोजना (दौराला क्षेत्र) की स्वीकृति के संबंध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या– 5

मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर योजना के पॉकेट जी में आवंटित शैक्षिक भूखण्ड सं0 पी0एस0 से मिली हुई ग्रीनबेल्ट की भूमि शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार खेल के मैदान हेतु आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा भागवन्ती देवी एजुकेशनल सौसायटी (एजुकेशनल पब्लिक स्कूल) के पक्ष में खेल–कूद के मैदान हेतु आवंटित भूमि 2609.90 वर्ग मीटर पर सघन वृक्षारोपण, हरित पट्टी के रख–रखाव एवं उसके स्वरूप में बिना परिवर्तन की शर्त के साथ लाईसैंस विलेख निष्पादित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–6

लोहिया नगर योजना के पाकेट''एफ'' में कैंची उद्योग एवं बुनकर उद्योग हेतु आवंटित भूखण्डों पर भौतिक कब्जा दिये जाने तक ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–7

ग्राम सुन्दरा उर्फ पूठा के खसरा संख्या 31 व 32 के आंशिक भाग पर प्रस्तावित भूमि को भू–अर्जन प्रस्ताव से अपवर्जित कराने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण की अन्य योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छूटे नम्बरों के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाय जो अर्जन से छूटे समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर एक नीतिगत प्रस्ताव बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या–8

शताब्दी नगर आवासीय योजना से होकर मेरठ हापुड बाईपास को मिलाने वाली मास्टर प्लान रोड के अर्जन हेतु प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–9

मेरठ रूडकी मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा विकसित पल्लवपुरम आवासीय योजना के पूर्व व दक्षिण मे सुनियोजित आवासीय विकास हेतु अर्जन हेतु प्रस्ताव

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–10

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों एवं विकसित पार्को को स्थानीय रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन एवं बैंको को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–11

वाहन संख्या यू0पी0–15ए–1100 एम्बेसडर कार (पैट्रोल) को निष्प्रयोज्य करने एवं नया वाहन/कार (डीजल चालित) क्रय करने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि नये वाहन खरीदनें से सम्बन्धित नवीनतम् शासनादेश का अध्ययन कर लें एवं यदि उसमें नये वाहन के खरीद पर प्रतिबन्ध न हो तो वाहन खरीद लें।

मद संख्या–12

उप निदेशक सूचना कार्यालय हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय परिसर में भू–तल पर 1200 वर्ग फुट आवंटित भवन की किराया दर पर पुर्नविचार करने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–13

प्राधिकरण की गंगानगर व वेद व्यासपुरी योजना में 132 के0वी0 सबस्टेशन के निर्माण हेतु विद्युत विभाग द्वारा मांगी गई भूमि के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या–1

उत्तर विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या–2

मेरठ महायोजना–2021 के अन्तर्गत जोनल डवलपमेन्ट प्लान्स्/रोड सर्कुलेशन नेटवर्क प्लान की परियोजना तैयार करने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या–3

प्राधिकरण की पांडव नगर आवासीय योजना के 18 मीटर चोड़े प्रस्तावित मार्ग को नंगला बट्टू मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित मार्ग के मध्य पड़ने वाली अनार्जित भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(अनुराग पटेल) 3/12/09
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(राम नवल सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

03/12
(श्रवण कुमार शर्मा)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।